30.8.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट पर बहस सुनी गई फर्द बटवारा रिपोर्ट स्वीकार कि जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।
	Sd/-

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी गनरवी नरेश आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 33 / 2019

मोहनलाल पिता रामा जी जाति ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
वादी

बनाम

1. जानीबाई बेवा उदा ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
2. रामेश्वर पिता उदा ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
3. कमलेश पिता उदा ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
4. प्रहलाद पिता गोपाल ब्राम्हण नाबालिग जरिये संरक्षक माता मीना ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
5. प्रियंका पुत्री गोपाल ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
6. मीना पित स्व0 गोपाल ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
7. पुजा पति अशोक ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
8. लक्ष्य पिता अशोक ब्राम्हण नाबालिग जरिये संरक्षक माता पूजा ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
9. उमा पिता उदा ब्रम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
10. प्रकाश पिता भागीरथ ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
11. राजु पिता भागीरथ ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
12. बगदीबाई पिता भागीरथ ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील वेगूँ
13. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील वेगूँ

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री एस.सी.टेलर

अधिवक्ता वादी निर्णय दिनांक :– 30.08.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से वाद पत्र अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र टेलर द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया कि मौजा डोराइ प0ह0 डोराई में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वामित्व एवं संयुक्त खातेदारी की निम्न कृषि आराजीयात राजस्व रिकोर्ड में दर्ज है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
200	602	0.0980
	603	0.1290
	किता–2	0.2270 है.

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
195	581	0.2750
	582	0.2750
	592	0.2430
	593	0.2750
	किता–4	1.0680 है.

संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर में
	596	0.0970
	604	0.2110
	605	0.1860
	किता—3	0.4940 है.

वादपत्र में अंकित कलम संख्या एक में अंकित खाता संख्या 200 में वादी का 1/2 हक हिस्सा व खाता संख्या 195 में वादी का 1/2 हिस्सा एवं खाता संख्या 197 में वादी का 1/3 हिस्सा निहित है और प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक भी वादी के साथ अपने अपने निहित हक हिस्सा अनुसार आराजीयात में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उपरोक्त आराजीयात का विधिवत रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आराजी को कम ज्यादा को लेकर एव सीमाओं एवं लगान आदि को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है जिसका स्थाई समाधान के लिये वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत है।

वाद कारण दिनांक 05.03.2019 को वादी ने प्रतिवादीगण को आपसी सहमति से तहसील में चलकर आराजीयात वाद वर्णित का विभाजन करा खाता अलग अलग करवाने के लिये कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इन्कार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वर्णित कृषि आराजीयात श्रीमान के श्रवणाक्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में स्थित होने से वाद प्रस्तुत है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी का वादपत्र स्वीकार फरमा निम्न अनुतोष की डिक्री वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावेंः—

1— कि वादपत्र की कलम संख्या एक में अंकित व दो में वर्णित अनुसार मौजा डोराई पटवारी हल्का डोराई के खाता संख्या 200 195, 197 के खाता संख्या 200 में वादी का 1/2 हिस्सा, खातार संख्या 195 में वादी का 1/2 हिस्सा एवं खाता संख्या 197 में वादी का हिस्सा 1/3 हक अनुसार कृषि भूमि का मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावे।

2— कि वाद विभाजन वादी के निहित हिस्सा भूमि का खाता पृथक राजस्व रेकार्ड में अंकित कराये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान करायी जावे।

3— अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावे एवं वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी वादी को प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावें।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र न्यायालय में बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, वादपत्र में प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 13 भूमिधारी वाद पत्र में फोर्मल पक्षकार होने से उनके द्वारा भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। पत्रावली को एक तरफा वादी साक्ष्य में रखाया गया, वादी की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र वादी मोहनलाल द्वारा प्रस्तुत करते हुए दावे में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श करा अपने बयान कलमबद्ध कराये। वादी साक्ष्य पूर्ण होने पर वाद पत्र में अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को सुना गया जिन्होने अपनी बहस में वादपत्र अनुसार वादी का वर्णित खातो में हिस्सा अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किये जाने व खाता पृथक किये जाने का निवेदन किया गया । बहस अधिवक्ता वादी की सुने जाने के पश्चात पत्रावली में

नकल जमाबंदी का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। मौजा डोराई की खाता संख्या 200 में अंकित आराजी संख्या 602 व 603 कुल रकबा 0.2270 हैक्टर भूमि में वादी मोहनलाल का हिस्सा 1/2 अंकित है, खाता संख्या 195 में अंकित आराजी संख्या 581,582,592,593 किता–4 रकबा 1.0680 हैक्टर भूमि में भी वादी का हिस्सा 1/2 अंकित है तथा खाता संख्या 197 में अंकित आराजी संख्या 596,604,605 किता–3 रकबा 0.4940 हैक्टर भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा अंकित होना पाया गया प्रस्तत नकल जमाबंदी प्रदर्श–1,2 व प्रदर्श–3 तथा नक्शाट्रेस प्रदर्श– 4 अंकित है। पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी में अंकित वादी के हिस्से अनुसार वाद पत्र प्रस्तुत किया है, प्रतिवादीगण प्रकरण में न्यायालय में उपस्थित नहीं आए है। अंकित हिस्सानुसार वादी के वादपत्र को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। दावे में तहसीलदार, बेगूँ को 1000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिनर नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि मौजा डोराई पटवार मण्डल डोराई की खाता संख्या 200 में अंकित आराजी संख्या 602 व 603 कुल रकबा 0.2270 हैक्टर भूमि में वादी मोहनलाल का हिस्सा 1/2 खाता संख्या 195 में अंकित आराजी संख्या 581,582,592,593 किता–4 रकबा 1.0680 हैक्टर भूमि में भी वादी का हिस्सा 1/2 तथा खाता संख्या 197 में अंकित आराजी संख्या 596,604,605 किता–3 रकबा 0.4940 हैक्टर भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा तथा शेष प्रतिवादीगण 1 से 12 तक का हिस्सा जमाबंदी अनुसार रखते हुए उपरोक्त कृषि आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विभाजन प्रस्ताव मय नक्शाट्रेस के साथ दो प्रति में इस न्यायालय में भिजवावें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र कमांक 2928 दिनांक 05.08.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर अधिवक्ता वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा बस्सी डोराई पटवार हल्का डोराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:–

खाता सख्या– 183

1–मोहन पुत्र रामलाल ब्रामण सा0देह खातेदार रहन बैंक ऑफ इडिया शाखा बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
581	0.275	चाही ए	11.94
593 मे	0.259	बीड	0.64
कीता–2	0.534 हैक्टर		12.58

2– उमा पुत्री उदा 1/36 कमलेश पुत्र उदयलाल 17/225 जानी पत्नी स्व. उदयलाल 17/100 जानी पत्नी स्वं उदा 17/450 पूजा पत्नी अशोक 17/450 प्रकाश पुत्र भागीरथ 1/4 ना.बा. प्रहलाद पुत्र गोपाल स.प. माता मीना 17/675 ना.बा. प्रियंका पुत्र गोपाल स.प. माता मीना 17/675 मीना पत्नी स्व. गोपाल 17/675 राजु पुत्र भागीरथ 1/4 रामेशवर पुत्र उदयलाल 17/225 ब्रामण सा0देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
582	0.275	चाही ए	11.94
592	0.243	बीड	0.60
593मे	0.016	बीड	0.04
कीता—3	0.534 हैक्टर		12.58

खाता संख्या — 186

1—मोहन पुत्र रामलाल ब्रामण सा0देह खातेदार रहन बैंक ऑफ इडिया शाखा बेंगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
596	0.097	बीड	0.24
605 मे	0.067	बीड	0.17
कीता—2	0.164 हैक्टर		0.41

2— जानी पत्नी स्व. उदयलाल 7/12 प्रकाश पुत्र भागीरथ 4/8 ना.बा. प्रहलाद पुत्र गोपाल स.प. माता मीना 1/36 ना.बा. प्रियंका पुत्र गोपाल स.प. माता मीना 1/36 मीना पत्नी स्व. गोपाल 1/36 राजु पुत्र भागीरथ 1/8 रामेशवर पुत्र उदयलाल 1/12 ब्रामण सा0देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
604	0.211	बीड	0.52
605 मे	0.112	बीड	0.29
कीता—2	0.330 हैक्टर		0.81

खाता संख्या—188

1—मोहन पुत्र रामलाल ब्रामण सा0देह खातेदार रहन बैंक ऑफ इडिया शाखा बेंगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
603 मे	0.114	बीड	0.28
कीता—1	0.114 हैक्टर		0.28

2— उमा पुत्री उदा 1/36 कमलेश पुत्र उदयलाल 17/180 जानी पत्नी स्वं उदा 17/180 पूजा पत्नी अशोक 17/360 प्रकाश पुत्र भागीरथ 1/4 ना.बा. प्रहलाद पुत्र गोपाल स.प. माता मीना 17/540 ना.बा. प्रियंका पुत्र गोपाल स.प. माता मीना 17/540 मीना पत्नी स्व. गोपाल 17/540 राजु पुत्र भागीरथ 1/4 रामेशवर पुत्र उदयलाल 17/180 ना.बा. लक्ष्य पुत्र अशोक स.प. माता पूजा 17/360 ब्रामण सा0देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
602	0.098	बीड	0.24
603 मे	0.015	बीड	0.04
कीता—2	0.113 हैक्टर		0.28

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम डिकी आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्डअधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :— 33 / 2019

मोहनलाल पिता रामा जी जाति ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1. जानीबाई बेवा उदा ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
2. रामेश्वर पिता उदा ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
3. कमलेश पिता उदा ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
4. प्रहलाद पिता गोपाल ब्राम्हण नाबालिग जरिये संरक्षक माता मीना ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
5. प्रियंका पुत्री गोपाल ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
6. मीना पित स्व0 गोपाल ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
7. पुजा पति अशोक ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
8. लक्ष्य पिता अशोक ब्राम्हण नाबालिग जरिये संरक्षक माता पूजा ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
9. उमा पिता उदा ब्रम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
10. प्रकाश पिता भागीरथ ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
11. राजु पिता भागीरथ ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
12. बगदीबाई पिता भागीरथ ब्राम्हण निवासी डोराई तहसील बेगूँ
13. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तहसील बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री एस.सी.टेलर की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.08.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस सहायक कलक्टर, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिकी निम्न प्रकार से दी जाती है :

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिकी किया जाता है, मौजा बस्सी डोराई पटवार हल्का डोराई की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:—

खाता सख्या— 183

1—मोहन पुत्र रामलाल ब्रामण सा0देह खातेदार रहन बैंक ऑफ इडिया शाखा बेगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
581	0.275	चाही ए	11.94
593 मे	0.259	बीड	0.64
कीता—2	0.534 हैक्टर		12.58

2— उमा पुत्री उदा 1/36 कमलेश पुत्र उदयलाल 17/225 जानी पत्नी स्व. उदयलाल 17/100 जानी पत्नी स्वं उदा 17/450 पूजा पत्नी अशोक 17/450 प्रकाश पुत्र भागीरथ 1/4 ना.बा. प्रहलाद पुत्र गोपाल स.प. माता मीना 17/675 ना.बा. प्रियंका पुत्र गोपाल स.प. माता मीना 17/675 मीना पत्नी स्व. गोपाल 17/675 राजु पुत्र भागीरथ 1/4 रामेशवर पुत्र उदयलाल 17/225 ब्रामण सा0देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
582	0.275	चाही ए	11.94
592	0.243	बीड	0.60
593मे	0.016	बीड	0.04
कीता—3	0.534 हैक्टर		12.58

संख्या – 186

हन पुत्र रामलाल ब्रामण सा0देह खातेदार रहन बैंक ऑफ इडिया शाखा वेंगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
596	0.097	बीड	0.24
605 मे	0.067	बीड	0.17
कीता–2	0.164 हैक्टर		0.41

2– जानी पत्नी स्व. उदयलाल 7/12 प्रकाश पुत्र भागीरथ 4/8 ना.वा. प्रहलाद पुत्र गोपाल स.प. माता मीना 1/36 ना.बा. प्रियंका पुत्र गोपाल स.प. माता मीना 1/36 मीना पत्नी स्व. गोपाल 1/36 राजु पुत्र भागीरथ 1/8 रामेशवर पुत्र उदयलाल 1/12 ब्रामण सा0देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
604	0.211	बीड	0.52
605 मे	0.112	बीड	0.29
कीता–2	0.330 हैक्टर		0.81

खाता संख्या–188

1–मोहन पुत्र रामलाल ब्रामण सा0देह खातेदार रहन बैंक ऑफ इडिया शाखा बेंगूँ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
603 मे	0.114	बीड	0.28
कीता–1	0.114 हैक्टर		0.28

2– उमा पुत्री उदा 1/36 कमलेश पुत्र उदयलाल 17/180 जानी पत्नी स्वं उदा 17/180 पूजा पत्नी अशोक 17/360 प्रकाश पुत्र भागीरथ 1/4 ना.बा. प्रहलाद पुत्र गोपाल स.प. माता मीना 17/540 ना.बा. प्रियंका पुत्र गोपाल स.प. माता मीना 17/540 मीना पत्नी स्व. गोपाल 17/540 राजु पुत्र भागीरथ 1/4 रामेशवर पुत्र उदयलाल 17/180 ना.बा. लक्ष्य पुत्र अशोक स.प. माता पूजा 17/360 ब्रामण सा0देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
602	0.098	बीड	0.24
603 मे	0.015	बीड	0.04
कीता–2	0.113 हैक्टर		0.28

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम डिकी आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर,(उपखण्डअधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सरिश्ता/2024/ दिनांकः–

अंतिम डिकी की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को पालनार्थ भिजवावें।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेगूँ